HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2815/2026

Ravindra Pal Singh S/o Shri Jasveer Singh, R/o Tenant House No. 81 A, Jaggi Colony, Baldev Nagar Phase -3, Ambala City, Ambala (Hariyana) (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ankit Sharma Mr. Rajeev Sogarwal
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Dr. Arpan Kumar Sharma Ms. Priyanka

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

20/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना मानसरोवर जिला जयपुर शहर (दक्षिण)में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 826/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 336(3) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, परिवादी कपंनी को मार्केटिंग के लिए सेल्स हैड की आवश्यकता थी। इस पर उसने प्रार्थी/अभियुक्त से संपर्क किया और सेल्स हैड के पद पर नियुक्ति दी। प्रार्थी/अभियुक्त ने कंपनी को फायदा दिलवाया तब तक कंपनी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, तत्पश्चात् कंपनी को नुकसान होने पर कंपनी ने प्रार्थी/अभियुक्त पर षडयंत्रपूर्व कूटरचित ईमेल आईडी बनाकर रखने और फर्जी एग्रीमेंट सेल किए जाने का आरोप लगाकर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

पुलिस के दबाव से प्रार्थी/अभियुक्त ने कंपनी को 26 लाख रुपये नकद व 64 लाख रूपये के 6 चेक कंपनी के एम.डी. को अदा कर दिए हैं और लेन देन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, उससे अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक और विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने 70 डमी अभ्यर्थियों की एक टीम बनाकर उनके नाम से कंपनी से सैलरी उठाने, फर्जी बनाई गई कंपनी में काम करने वाले कई लोगों को कंपनी में अधिकारी बताकर परिवादी कंपनी के सीईओ से मिलवाने, एग्रीमेंट साइन करवाने की एवज में उनको उपहार वगैरह आदि बताकर कंपनी के खाते से 24 लाख 98 हजार 157 रूपये अपने बैंक खाते में प्राप्त किए और वेबसाइट की विभिन्न कंपनी संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी कर कंपनी को करीब 3 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा फर्जी त्याग पत्र तैयार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त परिवादी कंपनी के सैल्स हैड के पद पर कार्यरत था। तथ्यों के अनुसार पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त के कार्य से कंपनी को लाभ हुआ, तत्पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त कंपनी के आरोपित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा फर्जी एग्रीमेंट अनुबंध पत्र स्वयं तैयार करवाकर डमी से फर्जी ई–मेल आईडी बनाकर ई–मेल किए गए, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि आपस में पत्राचार ई–मेल के माध्यम से हुए हैं। इकरारनामा/अनुबंध पत्र फर्जी व

कूटरचित हो, इस स्तर पर प्रथमदृष्टया नहीं कहा जा सकता है। कूटरचित इकरारनामा/अनुबंध पत्र के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विवादग्रस्त या विवादरहित हस्ताक्षर की तुलना करने के लिए उसके असली हस्ताक्षर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजे गये हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 64 लाख रुपये के 6 चेक कंपनी को दिये जाने बताये गये हैं, जो अनादरित होने बताये गये हैं। इसके संबंध में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। 26 लाख रुपये नगद भी कंपनी को दिये जाने बताये गये हैं। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रविन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

NIKITA /10